



2025/719

प्रतिवेदन पटवारी हल्का: उरुमा

श्रीमानजी, राजस्व ग्राम रुपपुरा-उरुमा जमाबंदी मम्बत 2024-25 के खाता नम्बरा 49, 205 में प्रार्थी का नाम नीलू के. ए. 2 पुत्र/पुत्री/पत्नि पवनसिंह जाति राजपूत दर्जे राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का वास्तविक नाम मीनू के. ए. 2 पुत्र/पुत्री/पत्नि पवनसिंह जाति राजपूत है। जिसके माध्यम के रूप में प्रार्थी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का उरुमा एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मीनू के. ए. 2 पुत्री पवनसिंह जाति-राजपूत दर्जे कर दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

पवनसिंह  
हस्ताक्षर पटवारी  
04/10/2025

जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त: श्रीर

श्रीमानजी, राजस्व ग्राम रुपपुरा-उरुमा जमाबंदी मम्बत 2024-25 के खाता नम्बरा 49, 205 में प्रार्थी का नाम नीलू के. ए. 2 पुत्र/पुत्री/पत्नि पवनसिंह जाति राजपूत दर्जे राजस्व रिकार्ड है। मूलग्र दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का उरुमा एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मीनू के. ए. 2 पुत्र/पुत्री/पत्नि पवनसिंह जाति राजपूत दर्जे कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

पवनसिंह  
04.10.25  
हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक श्रीर

52  
4/10/25

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार ( भू- अभिलेख ), श्रीमाधोपुर

श्रीमानजी, राजस्व ग्राम रुपपुरा-उरुमा जमाबंदी मम्बत 2024-25 के खाता नम्बरा 49, 205 में प्रार्थी का नाम नीलू के. ए. 2 पुत्र/पुत्री/पत्नि पवनसिंह जाति राजपूत दर्जे राजस्व रिकार्ड है। मूलग्र दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का उरुमा जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीर एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मीनू के. ए. 2 पुत्र/पुत्री/पत्नि पवनसिंह जाति राजपूत दर्जे कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

326  
17/10/25

पवनसिंह  
हस्ताक्षर तहसीलदार  
श्रीमाधोपुर

पटवारी हल्का उरुमा के अतिरिक्त बोर्ड की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर जांच रुपपुरा-उरुमा की खाता नं. 49, 205 के नीलू के. ए. 2 पुत्री पवनसिंह के खाते पर नीलू के. ए. 2 मीनू के. ए. 2 पुत्री पवनसिंह उरुमा के अतिरिक्त अन्य की शर्तों की जाती है।

उपरोक्त अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)